कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष : 0755–2674248, 2674318 फैक्स : 0755–2766315 E-mail pccfwl@gov.in

क्रमांक / पर्यटन / व.प्रा. / 2021 / F-126 / 3195 **भोपाल, दिनांक** 8/5/2021

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक,
टाइगर रिजर्व म.प्र.।

विषय :– **कोविड–19 से उपजी परिस्थितियों के कारण पर्यटकों के पर्यटन हेतु आगमन मे निर्णय लेने बावत्।**

–0–

विषयांकित लेख है कि कोविड–19 की वर्तमान परिस्थितियों के कारण मध्यप्रदेश राज्य द्वारा समीपवर्ती राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों पर विभिन्न प्रतिबंध/नियमन लागू किये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा उनके पत्र दिनांक 31 मार्च, 2021 से महाराष्ट्र से आने वाली बसें तथा मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र जाने वाली बसों का आवागमन प्रतिबन्धित किया गया है। वे पर्यटक जिन्होंने म.प्र. के टाइगर रिजर्व्स में 1 अप्रैल, 2021 से पर्यटन हेतु ऑनलाइन अनुज्ञा पत्र बुक कर रखे थे किन्तु इन प्रतिबंधों के कारण वे मध्यप्रदेश राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए एवं उनके अनुज्ञा पत्र का उपयोग नहीं हो पाए, ऐसे पर्यटकों द्वारा यदि आपके समक्ष शासन के आदेशों के पालन में अनुज्ञा पत्रों के उपयोग न हो पाने तथा अनुज्ञा पत्र शुल्क वापसी का अनुरोध किया जाता है तो पर्यटन दिवस के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जारी आदेशों एवं यात्रा मार्ग आदि की पुष्टि करते हुए पर्यटकों के अनुज्ञा पत्र अपने स्तर से निरस्त करते हुए अनुज्ञा पत्र शुल्क की पूर्ण वापसी करें। ऐसे पर्यटक जिनकी बुकिंग किसी होटल/ट्रेवल एजेंट द्वारा भी की गई हो तथा जिनका भ्रमण 1 अप्रैल एवं उसके बाद का है, तो पर्यटकों के निवास स्थल, पर्यटन दिनांक, यात्रा मार्ग आदि के आधार पर आवेदन के तथ्यों की पुष्टि करते हुए ऐसे अनुज्ञा पत्रों को निरस्त करते हुए अनुज्ञा पत्र शुल्क की पूर्ण वापसी करें। 30 जून 2021 के उपरांत इस प्रकार से पर्यटकों/होटल/ट्रेवल एजेंट के द्वारा प्राप्त कुल अनुरोध, निरस्त अनुज्ञा पत्रों की संख्या एवं वापस की गयी राशि की जानकारी का गोशवारा बनाकर इस कार्यालय को अवगत कराएं।

8/04/2021

(आलोक कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / पर्यटन / व.प्रा. / 2021 / F-126 / 3196 **भोपाल, दिनांक** 8/5/2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, वन, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ, भोपाल म.प्र. की ओर आपसे हुई चर्चा के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. शालिन विर्मानी, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, एम.पी. ऑनलाईन, चतुर्थ तल, डी. बी. मॉल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। कृपया वेब पोर्टल पर इस आशय की सूचना एवं इस पत्र को प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल